EC No. 39 / DoS – 11 / 2023 06 March 2023
बाह्य परिपत्र सं. 39 / डॉस - 11 / 2023

Ref. No. NB. HO. DoS. Pol. / 5945A / J-1 / 2022-23
स.सं राबैं. प्रका. डॉस. पॉल / 5945A / जे-1 / 2022-23

सभी प्रबंध निदेशक
All Managing Director
सभी राज्य सहकारी बैंक
All State Cooperative Banks
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
The Managing Director/ Chief Executive Officer
सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
All District Central Cooperative Banks

महोदया/महोदय
Madam /Dear Sir

| | |
|---|---|
| **नाबार्ड के निरीक्षण दल द्वारा अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण में पाए गए विचलन**<br>नाबार्ड अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के भाग के रूप में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों सहित बैंकों द्वारा अनुपालन का आकलन करता है. बैंकों के आस्ति वर्गीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों से प्रावधानन में महत्वपूर्ण विचलन के मामले सामने आए हैं, जिनके कारण प्रकाशित वित्तीय विवरण बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष तस्वीर नहीं दर्शाते हैं. | **Divergence in NPA classification observed by NABARD Inspection Team**<br>NABARD assesses compliance by banks with extant prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) as part of its supervisory process. There have been instances of material divergence in banks' asset classification and provisioning from RBI norms, thereby leading to the published financial statements not depicting a true and fair view of the financial position of the bank. |
| 2. इस संबंध में आप दिनांक 31 अगस्त 2017 को राज्य सहकारी बैंकों/जिला | 2. In this connection, we invite a reference to Circulars No. |

| | |
|---|---|
| मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को जारी हमारे बाह्य परिपत्र संख्या 225/डॉस.20/2017-18, संदर्भ सं. राबैं.प्रका.नीति/2233/जे-1/2017-18 और दिनांक 27 फरवरी 2020 को जारी बाह्य परिपत्र संख्या 47/डॉस.11/2019-20, संदर्भ सं. राबैं.डॉस/नीति/3437/जे-1/2019-20 देखें जिनमें हमने राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को विचलन के समक्ष प्रावधान करने और संबंधित बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा पाए गए विचलन को साझा करने के बारे में सूचित किया था ताकि वे यह सत्यापित कर सकें कि एक ही शाखा और अन्य शाखाओं में ऐसे खातों और इसी तरह के अन्य खातों का बैंक की बहियों में उचित रूप से वर्गीकृत किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में उन पर उपयुक्त रूप से प्रावधान किया गया है. | 225/DoS.20/2017-18, Ref. NB.HO.POL / 2233 / J-1/ 2017-28 dated 31 August 2017 and No. 47/DoS-11/2019-20, Ref. No. NB. DoS/POL/ 3437/ J-1/ 2019-20 dated 27 February 2020 wherein StCBs/DCCBs were advised about making provisions against the divergence and share the divergence observed by the Inspecting Officers with statutory auditors of the bank concerned to enable them to verify that the classification of such accounts and similar other accounts in the same branch and in other branches of the bank and provisioning thereon is correctly done in the bank's book as at the end of the financial year. |
| 3. समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि कुछ बैंक अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ऋणों और अग्रिमों के वर्गीकरण को कड़ाई से सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं; निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित विचलन हेतु पूर्ण प्रावधान नहीं किया गया है और ऋण खाते अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक अनर्जक बने रहते हैं. इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्ट में विचलन इंगित किए जाने और ऋण खातों का अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक अनर्जक बने रहते के बावजूद, कुछ सांविधिक लेखापरीक्षक अगले वित्तीय वर्ष के | 3. On a review, it has been observed that some banks are still not ensuring the classification of loans and advances strictly as per prudential norms prescribed by RBI; the divergence pointed out in the inspection reports are not fully-provided for and the loan accounts remain non-performing at the end of next financial year. Further, despite the divergence being pointed out in the IRs and despite the accounts continuing to remain non-performing at the end of next financial year, some Statutory Auditors are not ensuring proper classification of assets while |

| | |
|---|---|
| अंत में खाताबहियों को अंतिम रूप देते समय आस्तियों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विवार्षिक वित्तीय निरीक्षण 2022 के दौरान इसे गंभीरता से देखा गया है. | finalising the books of accounts as at the end of next financial year. This has been viewed seriously by RBI during the course of Biennial Financial Inspection 2022. |
| 4. तदनुसार, हम दोहराते हैं कि राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक नाबार्ड द्वारा विचलन के रूप में चिह्नित किए गए खातों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करें और यह सत्यापित करें कि बैंक में कहीं और इसी तरह के अन्य खातों का वर्गीकरण उपयुक्त रूप से किया गया है और इसके समक्ष उचित प्रावधान करें. | 4. Accordingly, we reiterate that StCBs/DCCBs may ensure proper classification of the accounts identified as divergence by NABARD and verify that the classification of similar other accounts elsewhere in the bank are done properly and create appropriate provision thereagainst. |
| 5. इसके अलावा, हम सूचित करते हैं कि अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण में इस तरह के विचलन की पुनरावृत्ति को गंभीरता से देखा जाएगा और अनुशासनहीन बैंकों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक को विनियामक कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है. | 5. Further, we advise that the recurrence of such divergence in NPA classification will be viewed seriously and regulatory action may be recommended to RBI against the recalcitrant banks. |
| 6. कृपया इस परिपत्र की पावती आपके राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में स्थित हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें. | 6. Please acknowledge the receipt of this circular to our Regional Office in your State/ UT. |
| भवदीय | Yours faithfully |
| ह /- | Sd /- |
| (के एस रघुपति)<br>मुख्य महाप्रबंधक | (K.S.Raghupathi)<br>Chief General Manager |